रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99





राजापन

Gazette

som (ha)

OSCHQ)

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] No. 181]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 2010/अग्रहायण 4, 1932

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204

DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2010/AGRAHAYANA 4, 1932

[N.C.T.D. No. 204

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

COVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सं. फा. 1 (11)/2010/मं.आ./एम.सी./2010/877-934.—विधि मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 सितम्बर, 1955 की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 2063 के साथ पठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल, दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली, 1956 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :—

नियमावली

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाए।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. प्रपत्र क का संशोधन.—दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली, 1956 के प्रपत्र क के खण्ड 7 में उप-खण्ड (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "(vi) तीस दिनों की अविध से अधिक के लिये पंजीयक के क्षेत्राधिकार में रह रहे पक्षकारों में से एक या उसके माता-पिता: उपबन्ध है कि यदि, विवाह दिल्ली में आयोजित किया जाता है, तो इस उप-खण्ड की शर्तें लागू नहीं होंगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, दी.मो. स्पोलिया, प्रधान सचिव

REVENUE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 25th November, 2010

No. F. 1(11)/2010/DC/MC/2010/877-934.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of Section 8 of the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) read with Government of India Ministry of Law, Notification No. S.R.O. 2063 dated the 19th September, 1955, the Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules to further amend the Hindu Marriage Registration Rules, 1956, namely:—

RULES

- 1. Short Title and Commencement—(1) These rules may be called the Delhi Hindu Marriage Registration (Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amendment of Form A.—In the Delhi Hindu Marriage Registration Rules, 1956, in Form A, in clause 7, for sub-clause (vi), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
 - "(vi) One of the parties or his/her parent is residing within the Jurisdiction of the Registrar for more than thirty days:

Provided that in case marriage is solemnized in Delhi, the condition of this sub-clause shall not apply.".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, D. M. SPOLIA, Prl. Secv.

2757 (ced

4556 DG/2010

(1)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

फा. सं. 21(08)/2010/एल.ए.एस.-IV/विधायी/ 10763.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

> न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-08)

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को पुर:स्थापित किया गया)

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तन के लिये आगे संशोधन हेतु एक विधयेक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 है।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।
- (3) यह राष्ट्रीय नाजभानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. नयी धारा 16क का सन्तिबेश,—न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके प्रवर्तन में धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को सन्तिवेश किया जायेगा, अर्थात् :—

"16क, सुनवाई से पूर्व निपटारे पर शुल्क की वापसी.-जब-जब पक्षकारों के समझौते से—

- (i) कोई वाद दावे के गुण-दोष पर कोई साक्ष्य अभिलेखबद्ध किये जाने से पूर्व न्यायालय से बाहर निपटान के रूप में खारिज होता है; या
- (ii) कोई वाद दावे के गुण-दोष पर कोई साक्ष्य अभिलेखबद्ध किये जाने से पूर्व समझौते के फलस्वरूप समझौता डिग्री द्वारा समाप्त होता है; या
- (iii) कोई अपील ऐसी अपील की सुनवाई शुरू होने से पूर्व निपटान की जाती है ;

वाद या अपील में दावे या दावों के विषय में भुगतान किये गए समस्त शुल्कों की आधी राशि क्रमशः उन पक्षों को लौटाने के लिए न्यायालय आदेश करेगा जिनके द्वारा उनका भुगतान किया गया है।

स्पष्टीकरण: अभिव्यक्ति "दावे के गुण-दोष" ऐसे मामलों से संबंधित हैं जो वाद में सुनिश्चित करने के लिए सामने आते हैं, तथा जो दावे की रूपरेखा संबंधी मामलों, पक्षकारों का कुसंयोजन तथा कार्यवाही के कारण, वाद पर कार्यवाही करने या विचारण करने के क्षेत्राधिकार या देय शुल्क के विषय में न हो परन्तु इसमें पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) का तर्क, अविध (लिमिटेशन) तथा ऐसे मामले शामिल हैं।"

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम की धारा 16 में ऐसे मामलों में न्यायालय शुल्क लौटाने का प्रावधान है जिनमें दावे के पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 में उल्लिखित विवादों के समाधान के किसी साधन को अपनाकर अपना मुकदमा निपटाते है। उक्त अधिनियम में ऐसे मामलों में न्यायालय शुल्क को लौटाने का प्रावधान नहीं है जहां पक्षकार स्वयं या न्यायालय के हस्तक्षेप से अपने मामलों का समाधान करते हैं। इसलिए यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसे मामलों में न्यायालय शुल्क लौटाने की अनुमित देने के लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 16 में संशोधन करें।

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2010 का उद्देश्य उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति है ।

> (मंगत राम सिंघल) मंत्री, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य

वित्तीय ज्ञापन

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2010 में ऐसे मामलों में न्यायालय शुल्क लौटाने का प्रस्ताव है जहां पक्षकार स्वयं या न्यायालय के हस्तक्षेप से अपने मामलों का समाधान करते हैं। संभावना है कि इस संशोधन से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2010 में किसी अधिकारी को उप-विधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। पी. एन. मिश्रा, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 25th November, 2010

F. No. 21(08)/2010/LAS-IV/Leg/10763.—The following is published for general information.—

The Court-Fees (Delhi Amendment) Bill, 2010 (Bill No. 8 of 2010)

(As introduced in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi on 25-11-2010)

A Bill further to amend the Court-Fees Act, 1870 (7 of 1870) in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title, extent and Commencement.—(1) This Act may be called the Court-Fees (Delhi Amendment) Act, 2010.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Insertion of new section 16A.—In the Court-Fees Act, 1870 (7 of 1870), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after Section 16, the following section shall be inserted, namely:—

"16A. Refund of fees on settlement before hearing. Whenever by agreement of parties—

- (i) any suit is dismissed as settled out of Court before any evidence has been recorded on the merits of the claim; or
- (ii) any suit is compromised ending in a compromise decree before any evidence has been recorded on the merits of the claim; or
- (iii) any appeal is disposed of before the commencement of hearing of such appeal;

half the amount of all fees paid in respect of the claim or claims in the suit or appeal shall be ordered by the Court to be refunded to the parties by whom the same have been respectively paid.

Explanation.—The expression "merits of the claim" refers to matters which arise for determination in the suit not being matters relating to the frame of the suit, misjoinder of parties and cause of action, the jurisdiction of the Court to entertain or try the suit or the fee payable, but includes matters arising on pleas of res judicata, limitation and the like."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Court Fees Act, 1870 (7 of 1870) is a Central Act as in force in the National Capital Territory of Delhi. Section 16 of this Act provides for the refund of the Court fee where the parties to the suit settle their cases by adopting any of the modes of settlement of dispute referred to in Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908). There is no provision in the said Act to refund the court fee in cases where the parties settle their cases on their own or with the intervention of the Court. Therefore, it is felt that the Government of National Capital Territory of Delhi may amend Section 16 of the Court Fees Act, 1870 for permitting refund of Court fees in such cases.

The Court-Fees (Delhi Amendment) Bill, 2010 seeks to achieve the aforesaid objective.

New Delhi

(Mangat Ram Singhal)

Deted:

Minister of Law, Justice & Legislative Affairs

FINANCIAL MEMORANDUM

The Court-Fees (Delhi Amendment) Bill, 2010 proposes to refund of court fees in cases where the parties settle their cases on their own or with the intervention of the Court. It is anticipated that due to this amendment there would be no affect in the revenue.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Court-Fees (Delhi Amendment) Bill, 2010 does not seek to confer power on any functionary to make subordinate legislation.

P. N. MISHRA, Secv.

दिल्ली उच्च न्यायालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सं. 451/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1996 (1966 का अधिनियम संख्या 26) की धारा 7 एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा सिविल अपील संख्या 1134-1135/2002 शीर्षक "उत्तराँचल राज्य - बनाम- श्री बलवन्त सिंह चौफला" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-1-2010 के अनुसार, जनहित वाद के सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया के विषय में एतद्द्वारा निम्नांकित नियमों का निर्माण करता है :—

भाग-1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त शीर्षक.—ये नियम 'दिल्ली उच्च न्यायालय (जनहित वाद) नियम, 2010' कहलाए जाएंगे।
- 2. प्रारम्भ: —ये नियम दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग IV में इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएंगे।
- 3. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
 - (क) "उच्च न्यायालय" से अभिप्राय दिल्ली उच्च न्यायालय से है।
 - (ख) "पत्र याचिका" से अभिप्राय एक औपचारिक लिखित संसूचना से है जो उच्च न्यायालय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायाधीश को सम्बोधित की गयी हो।
 - (ग) "जनिहत वाद" से अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एक रिट याचिका से हैं जो जनिहत वाद अथवा एक पत्र याचिका के रूप में प्रस्तुत की गयी हो जिसे इन नियमों के अन्तर्गत जनिहत वाद के रूप में ग्रहण किया जा सकेगा।
 - (घ) "जनहित वाद प्रकोष्ठ" से अभिप्राय एक प्रकोष्ठ से है जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पत्र याचिकाओं को जनहित वाद समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रक्रियाशील करने के लिए सृजित किया गया है।
 - (च) "जनिहत वाद सिमिति" से अभिप्राय एक सिमिति से है जिसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कम से कम दो आसीन न्यायाधीश हों।
 - (छ) "राज्य" से अभिप्राय एक राज्य से है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

(ज) "उप निबन्धक" से अभिप्राय एक अधिकारी से है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1972 के अन्तर्गत उप निबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया है।

भाग-॥

पत्र याचिकाएं

- 4. जनिहत वाद प्रकोष्ठ. उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एक आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय में एक जनिहत वाद प्रकोष्ठ का गठन करेंगे जिसकी अध्यक्षता एक अधिकारी करेंगे जो उप निबन्धक की कोटि से निम्न स्तर के नहीं होंगे।
- 5. जनहित वाद प्रकोच्छ के कर्त्तव्य.—पत्र याचिकाएं जनहित वाद समिति के समक्षद्रप्रस्तुत किए जाने हेतु जनहित वाद प्रकोच्छ द्वारा प्रक्रियागत की जाएंगी।
- 6. जन हित बाद पीठ.—किसी मामले को सुनवाई हेतु किसी पीठ को भेजे जाने की मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य न्यायाधीश एक जनहित वाद पीठ का गठन करेंगे जो किन्हीं विपरित निर्देशों के अध्यक्षीन जनहित वाद के सभी मामलों की सुनवाई करेंगे।
- 7. पत्र याचिकाओं के अनुवीक्षण हेतु दिशानिर्देश.—पत्र याचिकाएं जो जनहित को मामलों को उठाती अथवा इंगित करती हैं उन्हें पत्र याचिकाएं के रूप में ग्रहण किया जायेगा एवं जब तक जनहित वाद समिति निर्देशित न करें, निम्नांकित क्रेरिएयों के अन्तर्गत प्रस्तुत पत्र याचिकाओं को जनहित वाद के रूप में क्रां नहां किया जायेगा :—
 - (i) भवनस्वामी किराचेदार विवाद:
 - (ii) सेवा मामले एवं वे मामले जो पेंशन (पारिकारिक पेंशन के रूप में नहीं) एवं उपदान से सम्बन्ध रखते हों;
 - (iii) व्यक्तियों के मध्य निजी विवाद;
 - (iv) साविधिक अथवा वैधानिक दायित्वों से सम्बन्धित विवाद;
 - (v) वैवाहिक विवाद।
- जनहित वाद समिति के समक्ष पत्र याचिकाओं को जनहित वादों के रूप में प्रक्रियागत, अनुवीक्षण एवं सूचीबद्ध किया जाना :—
 - (क) जनिहत वाद प्रकोष्ठ में प्राप्त समस्त पत्र याचिकाएं प्रथमत: जनिहत वाद प्रकोष्ठ में प्रक्रियागत की जायेंगी। तथापि न तो कोई अनामिक पत्र याचिका एवं न ही कोई इस प्रकार की याचिका को ग्रहण किया जायेगा जिससे पत्र याचिकाकर्त्ता की पहचान स्थापित अथवा अभिनिश्चित न की जा सकती हो।
 - (ख) जनहित वाद सिमिति उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी पत्र याचिकाओं पर ऐसी कार्रवाई करेगी जिसे वह आवश्यक समझे ।
 - (ग) जब एक पत्र याचिका को जनिहत वाद याचिका के रूप में ग्रहण किये जाने का एक बार अनुमोदन कर

- दिया जाता है तब उसे जनहित वाद पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये।
- (घ) जनिहत वाद प्रकोष्ठ पत्र याचिका में उठाए गए जनता से सम्बन्धित बिन्दुओं का, किन्हीं विभागों से प्राप्त उत्तरों का यदि कोई हो, एवं सरकारी विभागों/कर्मचारियों के पते जिनको याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक अथवा समुचित पक्षकार समझा जाए को सम्मिलित करते हुये अंग्रेजी भाषा में एक सार तैयार करेगा तथा इसको सूचीबद्ध करने के लिए भेजेगा।

भाग-॥।

जनहित वादों का प्रस्तुतीकरण

- 9. जनहित वादों को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश.—(i) एक जनहित वाद के लिए आशयित एक रिट याचिका में (निम्नांकित) अंतर्विष्ट होंगे :—
 - (क) शीर्षक में रिट याचिका की संख्या के तुरन्त नीचे एक लेख यत: 'एक जनहित वाद के मामले में'।
 - (ख) रिट याचिका के पैरा 1 में इस प्रभाव का एक विशिष्ट कथन कि रिट के याचिकाकर्ता का वाद में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है एवं यह कि याचिका स्वयं के लाभ अथवा अन्य किसी संस्था/व्यक्ति/निकाय के लाभ के लिए प्रेरित गहों है तथा यह कि रिट याचिका के प्रस्तुतीकरण में जनहित के अलाहा हम्म कोई उद्देश्य नहीं है।
 - (ग) रिट याचिका में अभिकथित तथ्यों की जानकारी का स्रोत एवं उसकी सत्यता का अवधारण करने के लिए की गयी अतिरिक्त जाँच/अनुसंधान के विषय में रिट याचिका के पैरा 2 में एक विशिष्ट कथन ।
 - (घ) व्यक्तियों का वर्ग जिनके लाभ के लिए याचिका को प्रस्तुत किया गया है एवं यह कि किस प्रकार ऐसे व्यक्ति स्वयं न्यायालय पहुंचने में असमर्थ हैं, का स्पष्ट कथन करते हुये रिट याचिका के पैरा 3 में विशिष्ट कथन।
 - (च) रिट याचिका के पैरा 4 में एक विशिष्ट कथन उन व्यक्तियों/निकायों/संस्थाओं के बारे में जिनके रिट याचिका में चाहे गए आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है एवं जिसे/जिनको प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जायेगा तथा एक अतिरिक्त कथन यह कि वादी की जानकारी में कोई अन्य व्यक्तियों/निकायों/संस्थाओं का रिट याचिका में चाहे गए आदेशों से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
 - (छ) मामले के समर्थन में वादी की सक्षमता दर्शाने हेतु वादी की पृष्ठभूमि के साथ उसकी योग्यता का रिट याचिका के पैरा 5 में एक विशिष्ट कथन/यदि याचिकाकर्ता एक

संगठन है तो उसके पद धारकों के नाम व पते एवं उसके क्रियाकलापों की प्रकृति भी उल्लेखित की जाएगी। एक कथन यह भी प्रस्तुत किया जाएगा कि वादी के पास न्यायालय द्वारा अधिरोपित खर्चों, यदि कोई हैं, का भुगतान करने हेतु साधन हैं तथा उस विषय में न्यायालय को वचन दिये जाने पर।

- (ज) रिट याचिका के पैरा 6 में उपचारी कार्यवाइयों हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन(नों) के विवरण तथा उनके प्राप्त हुये उत्तरों, यदि कोई हों, संक्षेप में दिए जाएंगे।
- (झ) यदि वादी ने पूर्व में जन हित वाद प्रस्तुत िकया है अथवा पत्र याचिका योजित की है तो उनके विवरण रिट याचिका की संख्या, उसकी स्थिति एवं परिणाम उल्लिखित करते हुये एक सारणीबद्ध प्रारूप में दिये जाएंगे ।
- (ञ) मामले को प्रत्यक्ष स्थापित करते हुये संक्षिप्त में अभिवचन जो पैराग्राफों में विभक्त हों जिस कारण रिट याचिका को प्रस्तुत करने का उत्कर्ष हुआ है, अभिवाचित किये जाएंगे जिनके पश्चात् प्रार्थना के समर्थन में आधार प्रस्तुत किये जाएंगे जिसके पश्चात् अंतिम पैराग्राफ में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से ईप्सित आदेश प्रदान किये जाने हेतु संक्षिप्त प्रार्थना करते हुये प्रार्थना खण्ड होगा । परंतुक :—परन्तु यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त किसी भी मामले हेतु सूचना दिये जाने में असमर्थ है तो इसके कारण के विषय में एक विशिष्ट कथन होगा कि क्यों उक्त सूचना नहीं दी जा रही है ।
- (ii) प्रत्येक जनहित याचिका के साथ इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 'ए' के अनुसार एक शपथ-पत्र होगा।

MIII-IV

10. न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति प्रभावित नहीं.— इन नियमों में कुछ भी न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा जिसमें कि ऐसे आदेश पारित करना न्याय का उद्देश्य पूरा करने हेतु आवश्यक हों अथवा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए दृष्टाँत योग्य कॉस्ट अधिरोपित करने की शक्ति एवं/अथवा एक याचिकाकर्ता अथवा एक अधिवक्ता को जनहित याचिका को प्रस्तुत करने से विवर्जित करना सिम्मिलित है यदि वे निरर्थक अथवा प्रयोजन हेतु मुकदमेबाजी में लिप्त पाये जाते हैं।

प्रारूप-ए

शपथ-पत्र

| ₩ | ·····आयु ····· |
|--------------------------|------------------------------------|
| वर्ष, पुत्र | , чता |
| एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से | निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता हूँ एवं |
| घोषणा करता हूँ : | |

4556 25/10-2

1. यह कि मैं उपरोक्त नाम का याचिकाकर्ता हूँ अथवा मैं उपरोक्त नाम के याचिकाकर्ता का हूँ। याचिकाकर्ता एक समिति/कम्पनी है जिनका पंजीकृत कार्यालय पर है एवं मुझे याचिकाकर्ता के निदेशक बोर्ड/साधारण निकाय/कार्यपालिका समिति की बैठक में पारित एक संकल्प के द्वारा इस याचिका को हस्ताक्षरित एवं संस्थित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- 2. मैंने वर्तमान याचिका को एक जनहित वाद के रूप में प्रस्तुत किया है।
- 3. मैने दिल्ली उच्च न्यायालय (जनहित वाद) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा मैं एतद्द्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ कि वर्तमान जनहित वाद उनके अनुरूप है।
- 4. मैं/याचिकाकर्ता वाद में कोई व्यक्तिगत हित नहीं रखता हूँ और न ही मेरा स्वयं का और न ही किसी और का जिसमें मेरा/याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत हित है का, सामान्य जनता के एक सदस्य के सिवाय, किसी भी प्रकार का वर्तमान वाद में माँगे गये अनुतोष से लाभ है। यह याचिका स्वयं के लाभ अथवा अन्य किसी व्यक्ति/संस्था/निकाय के लाभ के लिये प्रेरित नहीं है एवं इस याचिका को प्रस्तुत करने में केवल जनहित के अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है।
- 5. मैंने समस्त ऑकड़े/सामग्री जो उपलब्ध थे एवं जो वर्तमान याचिका पर विचार किये जाने हेतु इस न्यायालय के लिये सुसंगत थे, को जाँच/अनुसंधान जिसको करना मेरी शक्ति में था, करके एकत्रित कर लिया है/ मैं पुन: पुष्टि करता हूँ कि मैंने वर्तमान याचिका में कोई आँकड़ा/सामग्री/सूचना नहीं छिपाई है जो इस न्यायालय को यह राय स्थापित करने में समर्थ करे कि क्या इस याचिका को ग्रहण करें अथवा नहीं एवं/अथवा क्या कोई अनुतोष प्रदान करें अथवा नहीं।

अभिसाक्षी

सत्यापन

न्यायालय के आदेशानुसार वी. वी. वैश्य, महानिबन्धक

HIGH COURT OF DELHI NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2010

No. 451/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1996 (Act No. 26 of 1966) and all other powers enabling it, and in accordance with the order dated 18-1-2010 of the Supreme Court in Civil Appeal No. 1134-1135/2002 titled "State of Uttaranchal Vs. Shri Balwant Singh Chaufla", the Delhi High Court hereby makes the following Rules with respect to Practice and Procedure for the Exercise of Jurisdiction under Article 226/227 of the Constitution of India pertaining to Public Interest Litigation.

Part I PRELIMINARY

- 1. Short Title.—These Rules may be called the 'Delhi High Court (Public Interest Litigation) Rules, 2010'.
- 2. Commencement.—These Rules shall come into force from the date of their notification in the Delhi Gazette Extraordinary Part IV.
- 3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :
 - (a) "High Court" means High Court of Delhi.
 - (b) "Letter Petition" means an informal written communication, addressed to the High Court or Hon'ble the Chief Justice or any Hon'ble Judge of the High Court.
 - (c) "Public Interest Litigation" means a writ petition under Article 226 of the Constitution of India filed as a Public Interest Litigation or a Letter Petition which may be entertained as a Public Interest Litigation under these Rules.
 - (d) "Public Interest Litigation Cell" means a cell created by the Chief Justice for processing Letter Petitions to be placed before the Public Interest Litigation Committee.
 - (e) "Public Interest Litigation Committee" means the Committee consisting of at least two sitting Judges nominated by the Chief Justice.
 - (f) "State" means the State as defined under Article 12 of the Constitution of India.
 - (g) "Deputy Registrar" means an officer appointed by the Delhi High Court to the post of Deputy Registrar under the Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972.

Part II

LETTER PETITIONS

- 4. Public Interest Litigation Cell.—The Hon'ble Chief Justice of the High Court shall by an order constitute a Public Interest Litigation Cell in the High Court which shall be headed by an officer not below the rank of Deputy Registrar.
- 5. Duty of the Public Interest Litigation Cell.—Letter Petitions shall be processed by the Public Interest Litigation Cell for being placed before the Public Interest Litigation Committee.
- 6. Public Interest Litigation Bench.—Without prejudice to the powers of the Chief Justice to mark any matter to any Bench for hearing, the Chief Justice shall constitute a Public Interest Litigation Bench which, subject to any directions to the contrary, shall hear all matters of Public Interest Litigation.
- 7. Guidelines for screening Letter Petitions.—Letter Petitions raising or alluding to matters of Public Interest shall be entertained as Letter Petitions and unless directed by the Public Interest Litigation Committee, Letter

Petitions under the following categories shall not be entertained as Public Interest Litigation:

- (i) Landlord-Tenant disputes;
- Service matters and those pertaining to pension (not being family pension) and gratuity;
- (iii) Personal disputes between individuals:
- (iv) Disputes relating to contractual or statutory liabilities;
- (v) Matrimonial disputes.
- 8. Processing, screening and listing of Letter Petitions as Public Interest Litigations before the Public Interest Litigation Committee: (a) All Letter Petitions received in the Public Interest Litigations Cell, shall first be processed in the Public Interest Litigations Cell. However, neither any anonymous Letter Petition nor any such Petition from which the identity of the Letter Petitioner cannot be established or ascertained shall be entertained.
- (b) Public Interest Litigation Committee, shall take such action, it may consider necessary, on the letter Petitions presented before it.
- (c) Once a Letter Petition is approved to be entertained as a Public Interest Litigation Petition, the same shall be placed before the Public Interest Litigation Bench unless otherwise directed by Chief Justice.
- (d) The Public Interest Litigation Cell shall prepare a gist of the Letter Petition in English and the points of public concern raised in the Letter Petition, the replies, if any received from any department, Addresses of the Government Departments/Officials, who may be considered as the necessary or appropriate parties for the decision of the petition and send it for listing.

Part III

FILING OF PUBLIC INTEREST LITIGATION

9. Instructions for filing Public Interest Litigations:

- (i) A writ petition intended to be a Public Interest Litigation shall contain:—
 - (a) An inscription immediately below the number of the writ petition in the title, namely: 'In The Matter of a Public Interest Litigation'.
 - (b) A specific averment in para I of the writ petition to the effect that the writ petitioner has no personal interest in the litigation and that the petition is not guided by self-gain or for gain of any other person/institution/body and that there is no motive other than of public interest in filing the writ petition.
 - (c) A specific averment in para 2 of the writ petition as to the source of knowledge of the facts alleged in the writ petition and the further inquiries/investigation made to determine the veracity of the same.

- (d) A specific averment in para 3 of the writ petition specifying the class of persons for whose benefit the petition has been filed and as to how such persons are incapable of accessing the Courts themselves.
- (e) A specific averment in para 4 of the writ petition of the persons/bodies/institutions likely to be affected by the orders sought in the writ petition and which/who shall be impleaded as respondents and a further averment that to the knowledge of the petitioner no other persons/bodies/institutions are likely to be affected by the orders sought in the writ petition.
- (f) A specific averment in para 5 of the writ petition of the background of the petitioner with qualifications so far as it may be material to show the competence of the petitioner to espouse the cause. If the petitioner is an organization, the names and address of its office-bearers and the nature of its activities shall also be stated. An averment shall also be made that the petitioner has the means to pay the costs, if any, imposed by the Court and on an undertaking to the Court in that respect.
- (g) In para 6 of the writ petition, details of the representation(s) made to the authorities concerned for remedial actions and replies, if any, received thereto shall be set out precisely.
- (h) If the petitioner has previously filed public interest litigation or preferred Letter Petitions, the details thereof would be set out in a tabular form giving the number of the writ petitive, the status and outcome thereof.
- (i) Pleadings in brief divided into paragraphs setting forth the cause which has given rise to the filing of the writ petition shall be pleaded followed by the grounds in support of the prayer, followed by the prayer clause in the last paragraph giving the precise prayer which the petitioner wants to be granted by the Court.

Proviso: Provided that if the petitioner is unable to provide information for any of the matters above there shall be a specific averment as to the reason why said information is not being provided.

(ii) Every Public Interest Litigation shall be accompanied by an affidavit as per Proforma 'A' annexed to these Rules.

Part IV

10. Inherent Power of the Court not affected.—
Nothing in these Rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court, including the power to impose exemplary costs and/or to debar a petitioner or an Advocate to file Public Interest Litigation if found to be indulging in frivolous or motivated litigation.

PROFORMA-A

AFFIDAVIT

| s/o | -aged- | years, |
|------------------------------|--------------------|--------|
| affirm and declare as under: | do hereby solemnly | |

- 1. That I am the petitioner above named OR I am—
 of the petitioner above named. The petitioner is a society/company having its registered office at—and I have vide resolution passed in the Meeting of the Board of Directors/General Body/Executive Committee of the petitioner been authorised to institute and sign this petition.
- I have filed the present petition as a Public Interest Litigation.
- 3. I have gone through the Delhi High Court (Public Interest Litigation) Rules, 2010 and do hereby affirm that the present Public Interest Litigation is in conformity thereof.
- 4. I/petitioner have/has no personal interest in the litigation and neither myself nor anybody in whom I am/petitioner is interested would in any manner benefit from the relief sought in the present litigation save as a member of the General Public. This petition is not guided by selfgain or gain of any person, institution, body and there is no motive other than of public interest in filing this petition.
- 5. I have done whatsoever inquiry/investigation which was in my power to do, to collect all data/material which was available and which was relevant for this court to entertain the present petition. I further confirm that I have not concealed in the present petition any data/material/information which may have enabled this court to form an opinion whether to entertain this petition or not and/or whether to grant any relief or not.

DEPONENT

IN VERIFICATION

By Order of the Court, V. P. VAISH, Registrar General